

अध्याय 5

नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख, कार्य के निर्वहन के लिए मैन्यलौ और रिकाडो की सूची जिनका उपयोग कार्यां के निर्वहन के लिए किया जाता है।

धारा 4 (1) (बी) (अ)

- राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्न नियमों, अनुदेश, निर्देशिका के अनुसार ही अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कृत्यों का निर्वहन किया जाता है। संचालनालय अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले प्रमुख नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची निम्नानुसार हैः—

1	म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961
2	म.प्र. सिविल सेवा (वग्रीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966
3	म.प्र. सिविल सेवा (आचरण), नियम, 1965
4	म.प्र. वित्तीय संहिता
5	म.प्र. कोषालय संहिता
6	म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम
7	म.प्र. वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग – 1 एवं भाग – 2
8	म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम
9	म.प्र. मूलभूत नियम
10	म.प्र. यात्रा भत्ता नियम
11	म.प्र. भण्डार क्रय नियम
12	म.प्र. चिकित्सा परिचर्या नियम
13	म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) 1994
14	म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) 1998
15	म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002
16	म.प्र. सिविल सेवा (लोक सेवाओं एवं पदों में महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपलब्ध) नियम, 1996
17	म.प्र. राष्ट्रीय छात्र सेना तृतीय श्रेणी सेवा भरती नियम, 1973
18	म.प्र. राष्ट्रीय छात्र सेना चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम, 1980
19	म.प्र. राष्ट्रीय छात्र सेना आकस्मिकता निधि भरती नियम, 1973
20	गोपनीय चरित्रावली संबंधी नियम
21	अन्य संबंधित